

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
5 ³ / ₁₈	<p>न्यायालय भू-प्रबन्ध न्यायालय/राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही के लिए हुक्म है। वक्त पत्रावली की तिथि 23.4.18 को है। पूर्व स्वयं (आदेश) की अवधि निम्न दिनांक तक बढ़ाई जाती है।</p>
23 ⁴ / ₁₈	<p>न्यायालय भू-प्रबन्ध न्यायालय/राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही के लिए हुक्म है। वक्त पत्रावली की तिथि 4.6.18 को है। पूर्व स्वयं (आदेश) की अवधि निम्न दिनांक तक बढ़ाई जाती है।</p>
4 ⁶ / ₁₈	<p>अभिभावक अपील/रेस्को उपस्थित। अतः पत्रावली की तिथि 16.07.18 को है। पूर्व स्वयं (आदेश) की अवधि निम्न दिनांक तक बढ़ाई जाती है।</p>
16 ⁷ / ₁₈	<p>न्यायालय भू-प्रबन्ध न्यायालय/राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही के लिए हुक्म है। वक्त पत्रावली की तिथि 10.9.18 को है।</p>
10 ⁹ / ₁₈	<p>न्यायालय भू-प्रबन्ध न्यायालय/राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही के लिए हुक्म है। वक्त पत्रावली की तिथि 15.10.18 को है।</p>
15 ¹⁰ / ₁₈	<p>पत्रावली के बाद वक्त पत्रावली (आदेश) लौटाए जाते हैं। वक्त पत्रावली की तिथि 15.10.18 को है। पूर्व स्वयं (आदेश) की अवधि निम्न दिनांक तक बढ़ाई जाती है।</p>

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर